



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012026-269494
CG-DL-E-21012026-269494

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2026/माघ 1, 1947

No. 304]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2026/MAGHA 1, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2026

का.आ. 332(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (43 of 1961) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, 'कर्नाटक स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी' (पैन- AACAK0581H), कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक निकाय को, निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:

- (क) केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान;
- (ख) कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान; और
- (ग) बैंक जमाओं पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि कर्नाटक स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी –
- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगी;
 - (ख) गतिविधियां तथा निर्धारित आय की प्रकृति पूरे वर्ष अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4सी) के खंड (जी) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

2.1 इन शर्तों का अनुपालन न करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है और अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ली जा सकती है।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 से संबंधित कर निर्धारण वर्ष क्रमशः 2024-25, 2025-26 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 से संबंधित कर निर्धारण वर्ष क्रमशः 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 11 /2026/फा. सं. 300196/65/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण-ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से प्रभावी) किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।